कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक–3436 /रेनुकूट /15–7 दिनांक, रेनुकूट, ~~अप्रैल~~, 02-05- ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–मीरजापुर, सोनभद्र व वाराणसी में 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित 319.28 हे0 वन भूमि (रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 98.28 हे0) के लीज का आगामी 30 वर्षो के नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/32650/2018 के संबंध में ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2409/11–सी, FP/UP/TRANS/32650/2018 लखनऊ दिनांक– 17.02.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 17.02.2022 द्वारा दो बिन्दुओ पर आपत्ति इंगित करते हुए उसके निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त दोनो आपत्तियो में अंकित बिन्दुओ की अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 2409/11–सी, FP/UP/TRANS/32650/2018 लखनऊ दिनांक– 17.02.2022 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक– 28.09.2021 के द्वारा इंगित कमियो के निराकरण के क्रम में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न किये गये दिनांक– 06.10.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में विचारोपरान्त निम्नलिखित मत स्थिर किया गया है :– "चूकि भारत सरकार के पत्र सं0 8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही थी , ऐसे में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंधन होना प्रतीत नही होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है " । उक्त के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा आहूत बैठक में विषयगत प्रकरण मे उ0प्र0	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता मे दिनांक– 08.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था । आंयोजित बैठक के कार्यवृत्त संबंधित पत्र संख्या– 1824/मी0क्षे0/33 दिनांक– 11.10.2022 में यह उल्लिखित है कि, " चूकि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01. 11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तगत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही थी , ऐसे में प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन होना प्रतीत नही होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है" । उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर ही पूर्व में प्रभाग के पत्र संख्या–

	शासन के पत्रांक– जी0आई0 444/14–2–93–707/89 दिनांक– 08/23.02. 1994 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में वर्णित शब्दो " मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उक्त योजना हेतु 319.28 हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु लीजल पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 में निहित शर्तो एवं निम्न शर्तो (विज्ञप्ति मे उल्लिखित शर्त) पर प्रदान करते हैं । को संज्ञान नही लिया गया है । अतः प्रकरण में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत उक्त विज्ञप्ति में अधिरोपित शर्तो का भी संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने का कष्ट करे तथा इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक– 28.09. 2021 के द्वारा इंगित कमियो के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करे ।	1696/रेनुकूट/15–7 दिनांक– 29.11.2021 द्वारा आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा मे प्रेषित की जा चुकी है । अतः वर्तमान में उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी का कोई अतिरिक्त कथन/मत नही है
2	प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 06.01.2022 के द्वारा जारी संशोधित दरो के अनुसार नही है । अतः भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 06.01.2022 के द्वारा जारी संशोधत दरो के अनुसार समस्त संबंधित वन प्रभागो की एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न करे तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण गणना ऑनलाइन भाग–2 से डिलिट कर संशोधित गणना ऑनलाईन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 06.01.2022 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधत गणना प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए हुए ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है । ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड किये गये पूर्व के एन0पी0वी0 प्रमाण पत्र को डिलिट करा दिया गया है ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र